Regarding need to abolish service charges on Industries in Delhi under DIDOM Act-Laid

श्री योगेन्द्र चांदोलिया **(**उत्तर-पश्चिम दिल्ली**) :** मैं दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो दोहरे कराधान और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बोझ तले संघर्ष कर रहा है । दिल्ली में उद्योगपति संपत्ति कर के अलावा DIDOM अधिनियम के तहत भारी सेवा शुल्क का भुगतान करने को मजबूर है । यह दोहरा कराधान उद्योग को पंगु बना रहा है और इसके विकास में बाधा डाल रहा है । DIDOM अधिनियम सड़कों के निर्माण और रखरखाव जैसी सेवाओं के लिए शुल्क और प्रभार लगाता है । बुनियादी सुविधाओं का अभाव: DSIIDC को करों का भुगतान करने के बावजूद, उद्योगपतियों को स्ट्रीट लाइट, पैदल यात्री मार्ग, उचित स्वच्छता और सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने जैसी बुनियादी सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं । बुनियादी ढांचे की यह कमी न केवल उद्योग की उत्पादकता को प्रभावित कर रही है, बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही है । DIDOM कर को समाप्त करने और केवल एक ही कर के प्रावधान का मैं निवेदन करता हूँ । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए ।